

बिहार सरकार  
गृह (विशेष) विभाग

प्रेषक,

निर्बाधित  
ई-मेल

आमिर सुबहानी,  
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,  
बिहार।

पटना, दिनांक :-.....

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष २०१५-२०१६ में मुख्य शीर्ष-२२३५-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-६०-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-२००-अन्य कार्यक्रम-०००३-स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को विशेष भत्ता के अन्तर्गत निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में राज्य के पेंशनधारी स्वतंत्रता सेनानियों को दिनांक-०१.०८.२०१५ के प्रभाव से बढ़े हुए दर पर राज्य सरकार द्वारा देय विशेष भत्ता मद में माह दिसम्बर, २०१५ से जनवरी, २०१६ तक की अंतर राशि (५०००-२०००=३०००)/-रूपये प्रति माह प्रति सेनानी की दर से कुल २,२७,६४,०००/- (दो करोड़ सताईस लाख चौसठ हजार) रूपये, जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक-७७ दिनांक-१.०२.२०१६ के द्वारा श्री कपिलदेव शर्मा को बकाया राज्यांश का भुगतान हेतु अधियाचित राशि २,६८,९५०/- (दो लाख अरसठ हजार नौ सौ पचास) रूपये, जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक-१६०/सा० दिनांक-१५.०२.२०१६ के आलोक में गत वर्षों के बकाया राज्यांश पेंशन राशि का भुगतान करने के निमित्त १०००००/- (एक लाख) रूपये एवं जिला पदाधिकारी, अरवल के पत्रांक-९०/सा० दिनांक-०८.०२.२०१६ के आलोक में गत वर्षों के बकाया राज्यांश पेंशन राशि का भुगतान करने के निमित्त ५,५०,०००/- (पाँच लाख पचास हजार) रूपये कुल २,३६,८२,९५०/- (दो करोड़ छत्तीस लाख बेरासी हजार नौ सौ पचास) रूपये मात्र का आवंटन दिया जाता है:-

क्र० सं०	जिला का नाम	पेंशनधारियों की अनुमानित सं०	वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में विभागीय प०-२१५ दि०-१४.०५.१५, प०-३२१ दि०-२३.०७.१५, प०-५५३ दि०-२७.११.१५ एवं प०-०२ दि०-०७.०१.१६ एवं प०-३० दि०-२५.०१.१६ के द्वारा विशेष भत्ता के भुगतान हेतु आवंटित की गई राशि	बकाया राज्यांश का भुगतान हेतु अधियाचित राशि का आवंटन	दि०-०१.०८.१५ के प्रभाव से राज्य सरकार द्वारा देय विशेष भत्ता में वृद्धि के फलस्वरूप दिसम्बर, २०१५ एवं जनवरी, २०१६ माह की अंतर राशि (५०००-२०००=३०००)/- रूपये की दर से) का आवंटन	वित्तीय वर्ष २०१५-१६ अन्तर्गत आवंटित राशि का कुल योग
१.	२.	३.	४.		५.	६.
१.	मधुबनी	३८६	१३८९६०००		२३१६०००	१६२१२०००
२.	मोतिहारी	१०३	३७०८०००		६१८०००	४३२६०००
३.	अररिया	२५	९०००००		१५००००	१०५००००
४.	सीवान	२६	९३६०००		१५६०००	१०९२०००
५.	वैशाली	११२	४०३२०००		६७२०००	४७०४०००
६.	औरंगाबाद	२७	९७२०००		१६२०००	११३४०००
७.	दरभंगा	२४०	८६४००००		१४४००००	१००८००००
८.	शेखपुरा	४	१४४०००		२४०००	१६८०००
९.	मुजफ्फरपुर	१४०	५०४००००		८४००००	५८८००००
१०.	बाँका	१३०	४६८००००		७८००००	५४६००००

11.	मुंगेर	154	5544000		924000	6468000
12.	नवादा	25	900000		150000	1050000
13.	मधेपुरा	55	1980000		330000	2310000
14.	बेतिया	63	2268000		378000	2646000
15.	गोपालगंज	29	2011950		174000	2185950
16.	सासाराम	69	4140000		414000	4554000
17.	सारण	92	3812000		552000	4364000
18.	समस्तीपुर	62	2232000		372000	2604000
19.	बक्सर	19	684000		114000	798000
20.	भागलपुर	255	9180000		1530000	10710000
21.	गया	69	2484000	100000	414000	2998000
22.	सीतामंढी	67	2412000		402000	2814000
23.	लखीसराय	31	1116000		186000	1302000
24.	खगड़िया	108	3888000		648000	4536000
25.	कटिहार	50	1800000		300000	2100000
26.	जहानाबाद	51	1836000	268950	306000	2142000
27.	जमुई	27	972000		162000	1134000
28.	भोजपुर	282	10152000		1692000	11844000
29.	नालंदा	104	3744000		624000	4368000
30.	भभुआ	32	1152000		192000	1344000
31.	पूर्णियां	43	1548000		258000	1806000
32.	पटना	692	24912000		4152000	29064000
33.	अरवल	29	1044000	550000	174000	1768000
34.	सुपौल	44	1584000		264000	1848000
35.	सहरसा	73	2628000		438000	3066000
36.	किशनगंज	03	108000		18000	126000
37.	बेगूसराय	57	2052000		342000	2394000
38.	शिवहर	16	576000		96000	672000
कुल:-		3,794	13,97,07,950	9,18,950	22764000	16,33,90,900
			योग-		2,36,82,950	

(दो करोड़ छत्तीस लाख बेरासी हजार नौ सौ पचास) रुपये मात्र

(2) उपर्युक्त राशि का व्यय, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम, उप शीर्ष-0003-स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को विशेष भत्ता, के विषय शीर्ष-0401-पेंशन, मांग संख्या-22 तथा विपत्र कोड सं0-एन2235602000003 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-2016 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

(3) आवंटित राशि में से केन्द्रीय राजस्व से पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को ही जिलाधिकारी द्वारा उचित पहचान के आधार पर पूर्व की भाँति विशेष भत्ता प्रति माह भुगतान किया जायेगा। साथ ही, चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में आवंटित किये गये राशि में से स्वतंत्रता सेनानी/आश्रितों को भुगतान करने के पश्चात् यदि राशि अवशेष रह जाती है तो गत वर्षों का बकाया एवं फरवरी-मार्च 2016 का पेंशन राशि का भुगतान भी किया जायेगा।

(4) यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या सं0-2561, दिनांक-17.4.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

(5) प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना इसके नियंत्रण पदाधिकारी तथा संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारी इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्ववत घोषित रहेंगे। इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(आमिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-..... पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव।

कृ0पृ030.....

(3)

ज्ञापांक-..... पटना, दिनांक-.....  
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु  
प्रेषित।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-..... पटना, दिनांक-.....  
प्रतिलिपि:-<sup>128</sup>आई0टी0 मैनेजर, तकनीकी कोषांग, गृह विभाग, बिहार, पटना को  
विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधितों को ई-मेल के माध्यम से संसूचित करने  
हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।<sup>17/03/2016</sup>

Om

सरकार के प्रधान सचिव।  
17.3.16